निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **60/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

अनस कुरैशी, 146 बी, शिवाजी नगर झोटवाड़ा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र फुलेरा, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 08.09.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.05.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर मतदान केन्द्र, भाग संख्या एवं मतदाता सूची से संबंधित सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र फुलेरा, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी अप्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 02 दिनांक 03.09.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार देय सूचना अपीलोत्तर के संलग्न प्रेषित कर दी गई है एवं शेष बिन्दुओं के क्रम में पारित विनिश्चित से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूचना दिए जाने के उपरांत प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक **08.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner